

प्रपत्र- 2.3

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत बालीघाट-धरमघर मोटर मार्ग के खितोली पुल से गुरुगुच्चा प्रा0 पाठशाला तक 3.00 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 21/5/15 को प्रश्नगत परियोजना के लिये वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री डी. एल. नारेल राजस्व विभाग की ओर से श्री सुरज गोस्वामी प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री प्रकाश लाल सहायक अभियन्ता एवं श्री सन्तोष कुमार कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वनभूमि/नापभूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वनभूमि 0.00 है0, सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.450 हे0, वन पंचायत भूमि 0.180 हे0 एवं नापभूमि 1.485 हे0 प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वनभूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्ताव विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरक्षण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से सुरज गोस्वामी गाँव व 221 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

आवेदित वनभूमि में 10.5 वृक्षों व नापभूमि 10.5 वृक्षों का पातन निहित है, जिनकी प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना अपेक्षित हो).....

ह0/- सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट (बागेश्वर)
(प्रयोक्ता एजन्सी)

ह0/- राजस्व विभाग का प्रतिनिधि
कपकोट (बागेश्वर)

ह0/- वन विभाग का प्रतिनिधि
वन विभाग
बागेश्वर

ह0/- जिलाधिकारी
बागेश्वर

ह0/- ग्राम प्रधान/वन पंचायत सरपंच
बागेश्वर